(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 24 / 2024

पंजीकरण संख्या :– 2024 / 181

बउनवान

श्री रामकिशन सुमन निवासी रामनारायण माली की बाडी बारॉ ग्राम पोस्ट तियाया तहसील एवं जिला बारां (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बारॉ जिला बारां (राज.)

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 06.12.2024

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.10.2024 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बारॉ को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 10 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाये जाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बारॉ के पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई 10 बिंदुओं की सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 07.11.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बारॉ को जरिये सम्मन क्रमांक 1381–1382 दिनांक 07.11.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 1381–1382 दि. 07.11.2024 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बारॉ द्वारा पत्र क्रमांक / राजस्व / 2024 / 1313 दिनांक 11.11.2024 से अवगत करवाया गया कि उक्त आवेदन के अंकित बिन्दुओं की सूचना तहसील कार्यालय बारॉ से संबंधित होने के कारण उक्त आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक / राजस्व / 2024 / [illegible]36 दिनांक 24.10.2024 से सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु तहसीलदार बारॉ को भिजवाया गया तथा प्रतिलिपि आवेदक श्री रामकिशन को दी गई।

इस पर प्रकरण मे इस न्यायालय के पत्र क्रमांक / रीडर II / 2024 / 1438 दिनांक 03.12.2024 से तहसीलदार बारॉ को जवाब भिजवाये जाने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार बारॉ द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार, कोयला जिला बारॉ को भिजवाया जाना अवगत करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:52:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे कार्यालय नायब तहसीदार कोयला जिला बारॉ द्वारा अपीलार्थी श्री रामकिशन पुत्र मथुरालाल जाति माली निवासी रामनारायण की बाडी बारॉ को उनके कार्यालय के पत्र कमांक/भू.अ./2024/1099–1102 दिनांक 18.11.2024 से अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र मे अंकित 01 ता 10 बिन्दुओं का बिन्दुवार जवाब भिजवाते हुये, इस न्यायालय मे प्रथम अपील का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी, बारॉ एवं तहसीलदार, बारॉ को भी दी गई।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं नायब तहसीलदार, कोयला से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे 10 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी जिसका नायब तहसीलदार, कोयला द्वारा अपीलार्थी को बिंदुवार जवाब दिया जा चुका है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बारॉ एवं अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:52:26 IST
Reason: SelfAttested